

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3421]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 18, 2017/अग्रहायण 27, 1939

No. 3421]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 18, 2017/AGRAHAYANA 27, 1939

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

#### आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. आ. 3902(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मेरठ के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

## (क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारा, मरठ	अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड), मेरठ	सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, (ड्रेनेज खंड प्रथम), मेरठ	सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ	सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, जल निगम, मेरठ	सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ	सदस्य;
(vii)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	सदस्य व संयोजक।

#### (ख) नामित सदस्यगण:

(1)	अपर जिलाधिकारा (प्रशासन), मरठ		सदस्य;
(ii)	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हस्तिनापुर		सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ		सदस्य;
(iv)	डॉ. मधु वत्स (पर्यावरणविद), अध्यक्षा, सर्वहित कल्याण समिति, मेरठ		सदस्य;

- श्री कृष्ण कान्त (पर्यावरणविद), निवासी गली नं. 8, फुलबाग कालोनी, मेरठ (v) सदस्य;
- श्री अतुल भूषण गृप्ता, अध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, मेरठ (vi) सदस्य।
- नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। 2.
- जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का 3. निष्पादन करेगी।
- नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भृता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। 5.

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

# MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION ORDER

New Delhi, the 18th, December 2017

S.O. 3902(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act. 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Meerut of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members,

#### (A) Ex-officio Members:

(a)	District Collector, Meerut	C	hairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department (Provincial Division) Meerut	-	Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, (Drainage Division) Meerut	-	Member;
(d)	Chief Medical Officer, Meerut	-	Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam Meerut		Member;
(f)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Meerut	-	Member;
(g)	Regional Director, Social Forestry, Meerut	M	Member and Convenor.

## (B) Nominated Members:

(a)	Additional District Magistrate (Administration)	-	Member;
(b)	Executive Officer, Nagar Panchayat, Hastinapur	- )	Member;
(c)	District Panchayat Raj Officer, Meerut	-	Member;
(d)	Dr. Madhu Vatsa, Environmentalist, President, Sarvahit Kalyan Samiti, Meerut	-	Member;
(e)	Sri Krishna Kant, Environmentalist, Gali No.8-Phoolbagh Colony, Meerut	-	Member;
(f)	Sri Atul Bhushan Gupta, President, Indian Industries Association, Meerut	_	Member:

The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration )National Mission for Clean Ganga

# For Constitution of District County Committee for Rose Bands than select district County Committee for Rose Bands than select district County Committee for Rose Bands than select district County Cou खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) वि शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतदद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला रायबरेली के लिए जिला गंगा सुरक्षा निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे : (क) पदेन सदस्यगण (ख) नामित सदस्यगण:

तक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का

2016 के आदेशानुसार जिला गंगा सिमति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करनेकी प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

#### ORDER

New Delhi, the 18th December, 2017

S.O. 3903(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government 'India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th Octob inafter A Continuing of Direct County of the County referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to ' rict Ganga Protection Committee for District Rae Bareli of the State of Uttar Pradesh, comprising namely:-

### (A) Ex-officio Members:

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)
- (f)
- (g)
- (h)

(a)

(B) Nominated Members:

(b)

(d)

(c)

(e)

Member.

Member:

Member;

Member:

Member;

Member;

all hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the

rotection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the

- Trave lowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of t. State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

## नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. आ. 3904(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला भदोही के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

## (क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिलाधिकारी, भदोही			अध्यक्ष;
(ii)	अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भदोही			सदस्य;
(iii)	अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, भदोही			सदस्य;
(iv)	प्रिंसिपल, गर्वर्नमेंट पोलिटेक्निक कालेज, ओरई			सदस्य;
(v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, भदोही			सदस्य;
(vi)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भदोही			सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड, वाराणसी			सदस्य;
(viii)	जिला वन अधिकारी, भदोही		सदस्य	य व संयोजक ।

#### (ख) नामित सदस्यगण:

(i)	अपर जिलाधिकारी (वित्त व राजस्व), भदोही	सदस्य;
(ii)	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, भदोही	सदस्य;
(iii)	जिला पंचायत राज अधिकारी, भदोही	सदस्य;
(iv)	डॉ. कमाल अहमद सिद्दीकी, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग, के.एन.आर.एच., महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही	सदस्य;
(v)	डॉ. रेशमी सिंह, सहायक प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान विभाग, के.एन.आर.एच., महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही	सदस्य;
(vi)	एकमा, अध्यक्ष, उद्योग संघ, भदोही	सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

#### **ORDER**

### New Delhi, the 18th December, 2017

**S.O.** 3904(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii),

vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Bhadohi of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

# (A) Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Bhadohi	Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Public Works Department, Bhadohi	- Member;
(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Bhadohi	- Member;
(d)	Principal, Government Polytechnic College, Orai	- Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Bhadohi	- Member;
(f)	Chief Medical Officer, Bhadohi	- Member;
(g)	Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Varanasi	- Member;
(h)	District Forest Officer, Bhadohi	Member and Convenor.
B) Noi	minated Members:	

## (B)

(a)	Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Bhadohi	-	Member;
(b)	Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Bhadohi	-	Member;
(c)	District Panchayat Raj Adhikari, Bhadohi	-	Member;
(d)	Dr. Kamal Ahmad Siddique, Associate Professor, Head of	-	Member;
	Department, Vanaspati Vigyan Vibhag, KNRH,		
	Mahavidyalaya, Gyanpur, Bhadohi		
(e)	Dr. Reshmi Singh, Assistant Professor, Vanaspati Vigyan Vibhag,	-	Member;
	KNRH Mahavidyalaya, Gyanpur, Bhadohi.		
(f)	Ekma, President, Udyog Sangh, Bhadohi	-	Member.

- 2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

# नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. 3905(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मुरादाबाद के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

## (क) पदेन सदस्यगण

i)	जिलाधिकारी, मुरादाबाद	अध्यक्ष;	
ii)	अधिशासी अभियंता, (प्रांतीय खंड), लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद	सदस्य;	
iii)	अधिशासी अभियंता, बाढ़ खंड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद	सदस्य;	
iv)	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, मुरादाबाद	सदस्य;	
v)	अधिशासी अभियंता, उत्तर प्रदेश जल निगम, मुरादाबाद,	सदस्य;	
vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदृषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद	सदस्य;	
vii)	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद	सदस्य व संयोजक ।	

#### (ख) नामित सदस्यगण:

(i)	अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद		सदस्य;
(ii)	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद		सदस्य;
(iii)	ग्राम प्रधान, राम नगर, मझरा, तहसील व जिला, मुरादाबाद		सदस्य;
(iv)	श्रीमती अनामिता त्रिपाठी, प्रो. हिन्दू कालेज, (पर्यावरण विशेषज्ञ), मुरादाबाद		सदस्य;
(v)	परियोजना प्रबन्धक, डब्लू. डब्लू. एफ. मुरादाबाद		सदस्य;
(vi)	श्री विवेक अग्रवाल, प्रतिनिधि भारतीय उद्योग संघ	T	सदस्य ।

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा सिमिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा सिमिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

#### ORDER

#### New Delhi, the 18th December, 2017

S.O. 3905(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7<sup>th</sup> October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Moradabad of the State of Uttar Pradesh, comprising of the following members, namely:-

## (A) Ex-officio Members:

(a) District Magistrate, Moradabad

Chairperson;

 (b) Executive Engineer, Provincial Division, Public Works Department, Moradabad Member;

. (c)	Executive Engineer, Flood Control, Irrigation Department		*
	Moradabad	-	Member;
(d)	Additional Chief Medical Officer, Moradabad	-	Member;
(e)	Executive Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Moradabad		
		-	Member;
(f)	Regional Officer, Pollution Control Board, Moradabad		Member;
(g)	Divisional Director, Social Forestry, Moradabad	-	Member and Convenor.
		W 1000	

# (B) Nominated Members:

•			
(a)	Additional District Magistrate (Administration) Moradabad.	-	Member;
(b)	Nagar Ayukt, Nagar Nigam Moradabad	-	Member;
(c)	Gram Pradhan, Ram Nagar, Majhara, Tehsil & District, Moradabad		Member;
(d)	Smt. Anamita Tripathi Prof. Hindu College, Environmentalist, Moradabad	-	Member;
(0)	Project Manager, W.W.E. Moradahad		Mamham

(e) Project Manager, W W F, Moradabad - Member;

(f) Sri Vivek Agarwal, Representative Indian Industries Sangh - Member.

- 2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga

## आदेश

# नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. 3906(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला बेगूसराय के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

## (क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, बेगूसराय	अध्यक्ष;	
(ii)	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेगूसराय	सदस्य;	
(iii)	कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बेगूसराय	सदस्य;	
(iv)	जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, बेगूसराय	सदस्य;	
(v)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, (पी. एच. ई. डी.), बेगूसराय	सदस्य;	
	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बेगूसराय		
(vi)	सहायक, वैज्ञानिक पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद , क्षेत्रीय कार्यालय ,	सदस्य;	
(vii)	बरौनी, बेगूसराय जिला	सदस्य;	
(viii)	वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय वन प्रमंडल, बेगूसराय	सदस्य.	

Member;

Member;

#### (ख) नामित सदस्यगण:

(i)	जिला योजना पदाधिकारी, बेगूसराय	सदस्य;
(ii)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बीहट	सदस्य;
(iii)	मुखिया, ग्राम पंचायत-सिंहमा, मटिहानी	सदस्य;
(iv)	डॉ.स्वपना चौधरी, प्राचार्या, एस. के. महिला महाविद्यालय, बेगूसराय	सदस्य;
(vi)	श्री अली हुसैन, पर्यावरणविद, बेगूसराय	सदस्य;
(vii)	श्री अनिल कमार सिन्हा, सचिव, उद्योग संघ, बेगसराय	सदस्य.

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। [फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

#### ORDER

#### New Delhi, the 18th December, 2017

**S.O. 3906(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7<sup>th</sup> October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Begusarai of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

#### (A) Ex-officio Members:

District Planning Officer, Begusarai

Executive Officer, Nagar Parishad, Bihat

**(B)** 

(b)

(a)	District Magistrate, Begusarai	- Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Road Construction Department, Begusarai	- Member;
(c)	Executive Engineer, Water Resources Department, Begusarai	- Member;
(d)	District Immunization Officer, Begusarai	- Member;
(e)	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Begusarai	- Member;
(f)	Executive Engineer, Rural Work Department, Begusarai	- Member;
(g)	Assistant Scientific Officer, Bihar State Pollution Control Board, Regional Office, Barauni, Begusarai district	- Member;
(h)	Divisional Forest Officer, Forest Division, Begusarai	- Member and Convenor.
) No	minated Members:	

(c)	Mukhiya, Gram Panchayat- Sinhama, Matihani	-	Member;
(d)	Dr. Swapana Chaudhary, Principal, S.K. Women's College, Begusarai	-	Member;
(e)	Mr. Ali Hussain, Environmentalist, Begusarai	-	Member;
(f)	Mr. Anil Kumar Sinha, Secretary, Industry Association, Begusarai	-	Member.

- The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga

#### आदेश

#### नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. आ. 3907(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला भोजपुर के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

#### (क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, भोजपुर	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, शाहाबाद पथ प्रमण्डल (लोक निर्माण विभाग), भोजपुर	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई विभाग, भोजपुर	सदस्य;
(iv)	जिला असैनिक शल्य चिकित्सक- सह- चिकित्सक पदाधिकारी, भोजपुर	सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भोजपुर	सदस्य;
(vi)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल-1, आरा एवं जगदीशपुर	सदस्य;
(vii)	राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस्य;
(viii)	जिला वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर	सदस्य व संयोजक.

## (ख) नामित सदस्यगण:

(i)	निदेशक, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेट एजेसी (डी.आर.डी.ए.), भोजपुर	सदस्य;
(ii)	आयुक्त नगर निगम, भोजपुर, आरा	सदस्य;
(iii))	मुखिया ग्राम पंचायत, बड़हरा प्रखण्ड- बड़हरा	सदस्य;
(iv)	पर्यावरणविद, डॉ. मिथिलेश कुमार पांडेय, इकोलोजी एंड इन्वायर्नमेंटल साइंस, महाराजा	सदस्य;
(v)	कालेज, आरा पर्यावरणविद, डॉ. कृष्णनन्दन मिश्रा, विभागाध्यक्ष वनस्पति विज्ञान, प्रणव चटर्जी	सदस्य;
	महाविद्यालय, बक्सर	

# (vi) अध्यक्ष, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, भोजपुर

सदस्य.

Chairperson;

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

#### ORDER

#### New Delhi, the 18th December, 2017

S.O. 3907(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7<sup>th</sup> October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Bhojpur of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

## (A) Ex-officio Members:

Official Gazette.

District Magistrate, Bhojpur

	()	, Ji		•
	(b)	Executive Engineer, Shahabad Path Division (Public Works Department), Bhojpur	-	Member;
	(c)	Executive Engineer, Irrigation Department, Bhojpur	_	Member;
	(d)	District Civil Surgeon-cum-Medical officer, Bhojpur	-	Member;
	(e)	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Bhojpur	-	Member;
	(f)	Executive Engineer, Rural Work Department, Work Division-1Arrah and Jagdishpur	-	Member;
	(g)	One representative from Pollution Control Board to be nominated State		
			_	Member;
	(h)	District Forest Officer, Bhojpur -	M	lember and Convenor.
(B)	Nor	ninated Members:		
	(a)	Director, District Rural Development Agency (DRDA), Bhojpur	_	Member;
	(b)	Commissioner Municipal Corporation, Bhojpur, Arrah	-	Member;
	(c)	Mukhiya Gram Panchayat, Badhara	-	Member;
	(d)	Dr. Mithilesh Kumar Pandey, Ecology & Environmental Science, Maharaja College, Arrah	-	Member;
	(e)	Dr. Krishnanandan Mishra, Head Of Department Botany, Pranav Chatterjee College, Buxar	_	Member;
	(f)	President, Chamber of Commerce, Bhojpur	-	Member.

The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the

- The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga

#### आदेश

# नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. आ. 3908(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला पटना के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

## (क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, पटना	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना प्रमंडल , पटना	सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, गंगा सोन सुरक्षा नियंत्रण दीघा, पटना	सदस्य;
(iv)	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना	सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमण्डल, पटना पूर्वी, पटना	सदस्य;
(vi)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, दानापुर	सदस्य;
(vii)	क्षेत्रीय पदाधिकारी, पटना प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	सदस्य;
(viii)	वन प्रमंडल अधिकारी, पटना	सदस्य व संयोजक.

# (ख) नामित सदस्यगण:

(i)	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना			सदस्य;
(ii)	नगर आयुक्त , पटना नगर निगम	c .		सदस्य;
(iii)	उप विकास आयुक्त, पटना			सदस्य;
(iv)	श्री राजेंद्र सहनी, पटना सिटी	,		सदस्य;
(v)	श्री संजय पांडे, बांसघाट			सदस्य;
(vi)	अध्यक्ष, बिहार , चेम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना			सदस्य.

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। [फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)]

राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

#### **ORDER**

New Delhi, the 18th December, 2017

S.O. 3908(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Patna of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

#### (A) Ex-officio Members:

	(a)	District Magistrate, Patna	(	Chairperson;
	(b)	Executive Engineer, Building Construction Department, Patna		Member;
	(c)	Executive Engineer, Ganga Son Security Control Digha, Patna		Member;
	(d)	Chief Medical Officer, Patna		Member;
	(e)	Executive Engineer, Public Health Engineering Division, Patna Eastern, Patna		Member;
	(f)	Executive Engineer, Rural Work Division, Danapur	-	Member;
	(g)	Regional Officer, Patna Pollution Control Council	-	Member;
	(h)	Divisional Forest Officer, Patna -	ľ	Member and Convenor.
(	Nor	ninated Members:		

# **(B)**

(a)	District Panchayat Raj Officer, Patna	-	Member;
(b)	Municipal commissioner, Patna Municipal Corporation	-	Member;
(c)	Deputy Development Commissioner, Patna	_	Member;
(d)	Mr. Rajendra Sahni, Patna City	. <u>.</u>	Member;
(e)	Mr. Sanjay Pandey, Bansghat	-	Member;
(f)	Chairman, Bihar, Chamber of Commerce, Patna	_	Member.

- The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the
- Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

# नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. आ. 3909(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला भभुआ के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

## (क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, कैमूर	25	अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, भभुआ		सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई, भभुआ		सदस्य;
(iv)	सिविल सर्जन, कैमूर (भभुआ)		सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, भभुआ		सदस्य;
(vi)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, भभुआ		सदस्य;
(vii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि		सदस्य;
(viii)	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैम्र वन प्रमंडल, भभुआ	सदस्य व	व संयोजक.

# (ख) नामित सदस्यगण:

(i)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, भभुआ	सदस्य;
(ii)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, भभुआ	सदस्य;
(iii)	श्री राकेश कुमार राय, ग्राम पंचायत मुखिया, मनिहारी	सदस्य;
(iv)	श्री प्रसून्न मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स, भभुआ	सदस्य;
(v)	श्रीमती सीमा पटेल, प्रोफेसर, सरदार बल्लभभाई पटेल महाविद्यालय, भभुआ	सदस्य;
(vi)	श्री अजय कुमार अग्रवाल, प्रबंध निदेशक, इको सीमेंट, दुर्गावती (कैम्र)	सदस्य.

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा सिमिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

#### **ORDER**

New Delhi, the 18th December, 2017

**S.O.** 3909(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7<sup>th</sup> October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Bhabhua of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

#### (A) Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Kaimur -	Ch	nairperson;
(b)	Executive Engineer, Path Circle, Bhabua	-	Member;
(c)	Executive Engineer, Small Irrigation, Bhabua	-	Member;
(d)	Civil Surgeon, Kaimur (Bhabua)	-	Member;
(e)	Executive Engineer, Public Health Engineering Organization, Bhabua	-	Member;
(f)	Executive Engineer, Rural Work Department, Work Division, Bhabua	-	Member;
(g)	One representative from Pollution Control Board to be nominated by State	-	Member;
(h)	Forest Division Officer, Kaimur Forest Division, Bhabua		ember and Convenor.

#### (B) Nominated Members:

(a)	Land Reform Deputy Collector, Bhabua	-	Member;
(b)	Executive Officer, City Council, Bhabua	-	Member;
(c)	Mr. Rakesh Kumar Rai, Gram Panchayat Mukhiya, Manihari, Bhabhua	-	Member;
(d)	Mr. Prasunna Mishra, Senior Journalist, Hindustan Times, Bhabua	-	Member;
(e)	Mrs. Seema Patel, Professor, Sardar Ballabhabhai Patel College, Bhabua	-	Member;
(f)	Mr. Ajay Kumar Agarwal, Managing Director, Eco Cement, Durgavati (Kaimur)	-	Member.

- The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

## नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. आ.3910(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला दरभंगा के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

#### (क) पदेन सदस्यगण

(i)	जिला पदाधिकारी, दरभंगा			अध्यक्ष;
(ii)	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दरभंगा			सदस्य;
(iii)	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण, दरभंगा			सदस्य;
(iv)	असैनिक शल्य चिकित्सक- सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा			सदस्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, दरभंगा			सदस्य;
(vi)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा-1			सदस्य;
(vii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि			सदस्य;
(viii)	वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा		सदस्य	ा व संयोजक.

#### (ख)

नामित र	नदस्यगण:	
(i)	उप विकास आयुक्त, दरभंगा	सदस्य;
(ii)	नगर आयुक्त , दरभंगा नगर निगम, दरभंगा	सदस्य;
(iii)	मुखिया ग्राम पंचायत राज, शिशो पूर्वी, सदर दरभंगा	सदस्य;
(iv)	श्री नारायण जी चौधरी, राम बाग, दरभंगा	सदस्य;
(v)	श्री विष्णु कुमार मिश्रा	सदस्य;
(vi)	श्री पवन कुमार सुरेका, अध्यक्ष, वाणिज्य उद्योग संघ	सदस्य.

- नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा। 2.
- जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का 3.
- नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं। 5.

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

## **ORDER**

## New Delhi, the 18th December, 2017

S.O. 3910(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S. O. 3187 (E), dated the 7th October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Darbhanga of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

#### (A) Ex-officio Members:

(a)	District Magistrate, Darbhanga	-	Chairperson;
(b)	Executive Engineer, Road Construction Division, Darbhanga		- Member;
(c)	Executive Engineer, Water Discharge Darbhanga		- Member;
(d)	Civil Surgeon-cum-Chief Medical Officer, Darbhanga		- Member;
(e)	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Darbhanga		- Member;
(f)	Executive Engineer, Rural Work Department, Darbhanga-1		- Member;
(g)	One representative from Pollution Control Board to be nominated by State		- Member;
(h)	Forest Divisional Officer, Darbhanga, Mithila Forest Division, Darbhanga	-	Member and Convenor.

#### (B) Nominated Members:

(a)	Deputy Development Commissioner, Darbhanga		Member;
(b)	Municipal Commissioner, Darbhanga, Municipal Corporation Darbhanga	-	Member;
(c)	Mukhiya, Gram Panchayat Raj, Shisho Purvi, Sadar Darbhanga		Member;
(d)	Shri Narayana ji Choudhary, Ram Bagh Darbhanga		Member;
(e)	Sri Vishnu Kumar Mishra	×-	Member;
(f)	Mr. Pawan Kumar Sureka President, Commerce Industry Association	-	Member.

- 2. The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

[F. No. Estt.01/2016-17/111/NMCG (Vol-III)]

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga

#### आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2017

का. आ. 3911(अ).—केंद्र सरकार दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के का. आ. 3187 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना के पैरा 53 के साथ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा बिहार राज्य के जिला किटहार के लिए जिला गंगा सुरक्षा समिति नामक प्राधिकरण का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

# (क) पदेन सदस्यगण

(i) जिला पदाधिकारी, कटिहार

अध्यक्ष;

(ii) कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कटिहार

सदस्य;

(iii)	कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कटिहार	सदस	त्य;
(iv)	सिविल सर्जन, कटिहार	सदस	त्य;
(v)	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पी. एच.ई.डी.), कटिहार	सदस	त्य;
(vi)	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कटिहार	सदस	य;
(vii)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	सदस	य;
(viii)	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया	सदस्य व संयोज	क.

#### (ख) नामित सदस्यगण:

(i)	निदेशक, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी (डी.आर.डी.ए.), कटिहार	सदस्य;
(ii)	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मनिहारी	सदस्य;
(iii)	मुखिया, ग्राम पंचायत बाघमरा प्रखण्ड,- मनिहारी	सदस्य;
(iv)	श्री शिव शंकर रमानी, सचिव, कोसी क्षेत्रीय विकलांग, विधवा वृद्ध कल्याण समिति,	सदस्य;
	कटिहार	
(v)	श्री अनिल चमड़िया, चेयरमैन, रेड क्रॉस, कटिहार	सदस्य;
(vi)	श्री विमल सिंह बेगानी, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, कटिहार	सदस्य.

- 2. नामित सदस्यों का कार्यकाल इस आदेश की प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।
- 3. जिला गंगा सुरक्षा समिति दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 की ऊपर उल्लिखित अधिसूचना में दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी और इसमें दिये गए कार्यों का निष्पादन करेगी।
- 4. नामित सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और सिटिंग फीस राज्य सरकार के नियमों के अनुसार देय होगी।
- 5. दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 के आदेशानुसार जिला गंगा समिति के अध्यक्ष, बैठके आयोजित करने की प्रक्रिया एवं अवधि के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

[फा. सं. स्था. -01/2016-17/111/एन एम सी जी (खंड-III)] राजीव किशोर, कार्यकारी निवेशक (प्रशासन) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

## ORDER

New Delhi, the 18th December, 2017

S.O. 3911(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection), Act, 1986 (29 of 1986), read with the paragraph 53 of the notification of the Government of India, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S. O. 3187 (E), dated the 7<sup>th</sup> October, 2016 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes an authority to be called as the District Ganga Protection Committee for District Katihar of the State of Bihar, comprising of the following members, namely:-

#### (A) Ex-officio Members:

(a) District Magistrate, Katihar

Chairperson;

(b) Executive Engineer, Building Division, Katihar

Member;

	(c)	Executive Engineer, Irrigation Division, Katihar		-	Member;	
`	(d)	Civil Surgeon, Katihar		-	Member;	
	(e)	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Katihar		_	Member;	
	(f)	Executive Engineer, Rural Work Department, Katihar		-	Member;	
	(g)	One representative from Pollution Control Board to be nominated by State		-	Member;	
	(h)	Forest Divisional Officer, Katihar	-		ember and Convenor.	
<b>(B)</b>	No	ominated Members:				
	(a)	Director, District Rural Development Agency, Katihar		-	Member;	
	(b)	Executive Officer, Nagar Panchayat, Manihari		-	Member;	
	(c)	Head, Gram Panchayat Baghmara, block - Manihari		-	Member;	
	(d)	Shri Shiv Shankar Ramani, Secretary, Kosi Regional Disabled, Widow, Welfare Committee, Katihar		-	Member;	
	(e)	Mr. Anil Chamadia, Chairman, Red Cross, Katihar		-	Member;	
	(f)	Mr. Vimal Singh Begani, Chamber of Commerce, Katihar		-	Member.	

- The nominated Members shall hold office for a term of two years from the date of publication of this Order in the Official Gazette.
- 3. The District Ganga Protection Committee shall exercise such powers and perform such functions as specified in the said notification.
- 4. Travelling Allowance, Daily Allowance and sitting fees of the nominated Members shall be governed by the relevant rules of the State Government.
- 5. The Chairperson may decide the procedure and frequency for holding the meetings as per the said notification.

RAJIV KISHORE, Executive Director (Administration) National Mission for Clean Ganga

Digitally signed by RAKESH RAKESH SUKUL Date: 2017.12.19 22:30:21 +05'30'